कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 17/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 16.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना सुहवल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 90/25 धारा 303(2),324(4) BNS में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कब्जे से 01 अदद अंगूठी (पीली धातु) बरामद।

अपराध तथा अपराधियो पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना सुहवल राजनराय़ण व उ0नि0 शिवमणि सेन मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम मेदनीपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 90/25 धारा 303(2),324(4) BNS थाना सुहवल जनपद गाजीपुर मे वांछित चल रहे अभियुक्त राजाराम यादव पुत्र स्व0 बिहारी यादव निवासी ग्राम गरुआ मकसूदपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी-

01 अदद अंगूठी (पीली धातु) ।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता –

राजाराम यादव पुत्र स्व0 बिहारी यादव निवासी ग्राम गरुआ मकसूदपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर ।

अपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 90/25 धारा 303(2),324(4),317(2) बीएनएस थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

2. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा बलात्कार/पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/-रू0 अर्थदण्ड़ की सजा से दण्डित किया गया ।

दिनांक 16.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना दिलदारनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/24 धारा 363, 366, 376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त 1. आदिल अंसारी पुत्र रियाजुद्दीन अंसारी उर्फ राजू निवासी रक्सहां थाना दिलदारनगर, गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 12 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/-रू0 अर्थदण्ड़, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/-रू0 अर्थदण्ड़ तथा धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/-रू0 अर्थदण्ड़ की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर